कार्यालयः—जिला कार्यक्रम अधिकारी,मैनपुरी

पत्रांकः— C-892 / जि0का0अधि0 / आ0बा0 चयन / विज्ञप्ति / 2024—25 / दिनांकः—25/1/2025

विज्ञप्ति

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि शासनादेश संख्या—19 / 2023 / 3975 / 58—1—2022—2 / 1(22)10टी0सी0 दिनांक 21 मार्च 2023 में वर्णित व्यवस्थानुसार जनपद मैनपुरी के शहरी / ग्रामीण परिक्षेत्रो में संचालित बाल विकास परियोजना में ऑगनवाडी कार्यकत्री के मानदेय पर आधारित रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु सीधी भर्ती प्रक्रिया के तहत विभागीय वेब साईट http: upanganwadibharti.in पर आनलाईन आवेदन पत्र आंमत्रित किये जाते हैं। परियोजनाओं में रिक्त पदों का ग्रामसभा / वार्डवार विवरण निम्नवत् हैः—

क्रम संख्या	परियोजना का नाम	ग्रामीण / शहर	ऑगनवाडी कार्यकत्री के रिक्त पद का विवरण
1	मैनपुरी शहर	नगर पालिका परिषद मैनपुरी शहर के अतिरिक्त नगर पालिका / पंचायत कुरावली, किशनी, बेवर, घिरोर, करहल के नगर क्षेत्र	13
2	मैनपुरी देहात	ग्रामीण / शहर आंशिक	10
3	जागीर	ग्रामीण	06
4	किशनी	ग्रामीण	14
5	सुल्तानगंज	ग्रामीण	16
6	बेवर	ग्रामीण	53
7	बरनाहल	ग्रामीण / शहर आंशिक	3
8	कुरावली	ग्रामीण	13
9	घिरोर	ग्रामीण	9
10	करहल	ग्रामीण	38
कुल योग			175

उपरोक्त पदों का ग्रामसभा / वार्डवार विवरण एवं आरक्षण सहित अर्हता का पूर्ण विवरण जनपद के कलेक्ट्रेट विकास भवन, तहसील एवं विकास खण्ड कार्यालय इत्यादि के नोटिस बोर्ड पर चस्पा की गई है साथ ही विभागीय वेबसाईट http:upanganwadibharti.in पर अपलोड है। अर्हता / शर्ते निम्नवत् हैं :—

1. विज्ञापित पदों हेतु केवल महिला अभ्यर्थी ही पात्र होंगे।

2. ऑगनवाडी कार्यकत्री के रिक्त पदों हेतु न्यूनतम् शैक्षिक योग्यता इण्टरमीडिएट एवं उसके समकक्ष होगी।

3. आवेदिका को रिक्त पद के वार्ड / ग्राम सभा का स्थाई निवासी होना अनिवार्य है।

4. आवेदिका की आयु निर्धारित कट ऑफ डेट 01 जनवरी 2025 को न्यूनतम 18 वर्ष तथा 35 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। आयु की गणना हाईस्कूल की मार्कशीट / सर्टीफिकेट में अंकित जन्मतिथि के आधार पर की जायेगी।

5. विज्ञापित पदों हेतु केवल विभागीय वेबसाइट http:upanganwadibharti.in पर आनलाईन आवेदन ही निर्धारित समयावधि के अन्दर स्वीकार्य होंगे। ऑफलाईन आवेदन पत्र / कोई भी संलग्नक प्रपत्र किसी भी दशा में मान्य / स्वीकार नहीं किये जायेंगे।

6. ग्रामसभा / वार्ड से विधवा / तलाकशुदा / परित्यकता / विकलांग / स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को शासनादेश में वर्णित नियमों के अन्तर्गत नियमानुसार वरीयता दी जायेगी।

7. विधवा हेतु ग्राम पंचायत अधिकारी / संबधित नगर पालिका / नगर निकाय द्वारा निर्गत मृत्यु प्रमाण पत्र एवं परिवार रजिस्टर के नकल की प्रमाणित नकल मान्य होगी।

8. तलाकशुदा / परित्यक्ता के संबध में माननीय न्यायालय द्वारा निर्गत विधिक आदेश ही मान्य होंगे।

9. आय के संबध में तहसील द्वारा निर्गत नवीन (विज्ञापन जारी होने के 06 माह पूर्व का मान्य नहीं) ऑनलाईन डिजिटल हस्ताक्षर से निर्गत आय प्रमाण पत्र ही मान्य होंगे, जिनका ऑनलाईन सत्यापन संभव हो।

10. निवास एवं जाति प्रमाण–पत्र के संबध में तहसील से आनलाईन डिजिटल हस्ताक्षर से निर्गत निवास व जाति प्रमाण–पत्र ही मान्य होंगे। जिनका ऑनलाईन सत्यापन सम्भव हो।

11. विज्ञापित पदों हेतु ऑनलाईन आवेदन दिनांक 25.01.2025 से प्रारम्भ होकर अन्तिम तिथि दिनांक 14.02.2025 मध्य रात्रि 12:00 बजे तक किया जा सकेगा।

12. रिक्तियों की संख्या में परिवर्तन हो सकता है। इसका अधिकार चयन समिति में निहित रहेगा।

13. उपरोक्त विज्ञापित पदों की अर्हता एवं आवेदन करने की प्रक्रिया सहित विस्तृत जानकारी विभागीय वेबसाईट http:upanganwadibharti.in पर उपलब्ध है। साथ ही अधिक जानकारी हेतु संबंधित विकास खण्ड के बाल विकास परियोजना अधिकारी कार्यालय अथवा कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी मैनपुरी से किसी भी कार्य दिवस में संपर्क कर जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

25/1/2025

(हरिओम बाजपेयी)
जिला कार्यक्रम अधिकारी
मैनपुरी।

(प्रकाशन के लिये नहीं)

पृष्ठांकन संख्या /तद्दिनांक

प्रतिलिपि–निम्नलिखित की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार उ0प्र0लखनऊ।
2. जिलाधिकारी महोदय मैनपुरी।
3. मुख्य विकास अधिकारी महोदया मैनपुरी।
4. समस्त उपजिलाधिकारी मैनपुरी को इस अनुरोध के साथ कि विज्ञप्ति को तहसील के नोटिस बोर्ड पर चस्पा कराने का कष्ट करें।
5. जिला सूचना अधिकारी मैनपुरी को दो प्रतियों में विज्ञप्ति इस अनुरोध के साथ कि एक स्थानीय एवं एक राज्य स्तर के प्रतिष्ठित दैनिक समाचार पत्र में विज्ञप्ति प्रकार्शित कराने का कष्ट करें।
6. समस्त अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत मैनपुरी को इस अनुरोध के साथ कि विज्ञप्ति के प्रचार–प्रसार हेतु अपने कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा कराने कष्ट करें।
7. समस्त खण्ड विकास अधिकारी जनपद–मैनपुरी को इस अनुरोध के साथ कि विज्ञप्ति के प्रचार–प्रसार हेतु अपने कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा कराने का कष्ट करें।
8. समस्त प्रभारी चिकित्सा अधिकारी जनपद–मैनपुरी को इस अनुरोध के साथ कि विज्ञप्ति के प्रचार–प्रसार हेतु अपने कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा कराने का कष्ट करें।
9. समस्त खण्ड शिक्षा अधिकारी जनपद–मैनपुरी को इस अनुरोध के साथ कि विज्ञप्ति के प्रचार–प्रसार हेतु अपने कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा कराने का कष्ट करें।
10. समस्त बाल विकास परियोजना अधिकारी जनपद–मैनपुरी को इस निर्देश के साथ कि उक्त विज्ञप्ति को नोटिस बोर्ड पर चस्पा करें।
11. नाजिर कलेक्ट्रेट/विकास भवन को इस आशय से कि कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा कराने का कष्ट करे।
11. कार्यालय प्रति।

जिला कार्यक्रम अधिकारी
मैनपुरी।